for disabled children has suddenly been stopped: if so, the reasons therefor;

(c) whether any Member of Parliament for Nagpur has bought to the notice of Government;

(d) if so, by when the papers have been submitted by the said institution and reasons for holding up grants; and

(e) by when Government propose to release the grants to the said Sangh?

THE MINISTER OF WELFARE SHRI SITARAM KESRI): (a) No, Sir. However in cases where recommendations of the State Governments are not received or proposals are incomplete, grant is released only after receipt of requsite information.

(b) The continuing grant for the project for the disabled children being given to he organisation, Matru Seva Sangh, Nagpur has not been stopped.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) The recommendation of the State Government for the project submitted by the Institution was received on 10-2-95. Grant was, thereafter released for 1994.95 in March, 1995.

National Commission for minorities

6709. SHR K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be plaesed to state:

(a) whether the National Minorities Commission has given its opinion on the Wakf Bill 1993; and

(b) if so, what are the objections raised by the National Commission for Minorities on the Wakf Bill, 1993?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Government have received a letter dated 20.3.1995 from the Chairman, National Commission for Minorities.

(b) The Chairman, National Commission for Minorities has stated, inter alia, that the introduction of the Wakf Bill 1993 in the Rajya Sabha be deferred till the broad consultation were held with all those who are interested in the matter.

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाणपत्र

6710. **श्री नरेश यादव**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई नीति के अंतर्गत जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल तथा लम्बी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस कार्य को करने के लिए तथा कम से कम समयावधि में जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के प्रधान तथा मुखिया और शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्त को शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) कुमारी माधुरी पाटिल तथा अन्य अपीलकर्त्ताओं बनाम अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, थाने–सिविल अपील सं० 5054, 1994 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक स्तर प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य सरकारों की प्रक्रिया में एकरूपता लाने का निर्देश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय

की यह निर्धारित करने के उद्देश्य से जांच की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस विषय पर आगे क्या-क्या अनुदेश भेजना अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सामाजिक स्तर का प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उचित स्तर के राजस्व प्राधिकारियों के स्तर पर छानबीन, जांच शामिल है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के प्रधान तथा मुखिया और शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्तों को सुपुर्द नहीं किया जा सकता।

Non-official Directors in NMFDC

6711. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Non-official Directors have been nominated on the Board of National Minorities Finance Development Corporation;

(b) if so, how many Directors have been nominated and their names; and

(c) if not, whether Government propose to nominate a few non official Diectors on the Board, from members who have professional skills?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) One, Shri Mohd. Hidayatullah Khan, former Speaker and former Cabiet Minister, Bihar.

(c) Does not arise in view of (a) above.

अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों संबंधी समिति

6712. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कुछ और क्षेत्रों को अनुसूचित जन-जाति क्षेत्रों तथा कुछ और जातियों को अनुसूचित जन जातियों के रूप में घोषित करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, प्रस्तावों एवं सिफारिशों पर विचार करने हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामला कब से विचाराधीन है;

(ग) क्या समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की सूची में परिवर्तन अथवा संशोधन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ और समुदायों को शामिल करने का मामला भी शामिल है। कुछ और इलाकों को अनुसूचित जन जाति क्षेत्र घोषित करने पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में 650 समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव समिति के विचाराधीन है। लोक-हित में प्रस्ताव और ब्यौरा उजागर नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) समिति से आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1995 तक प्रस्तुत करेगी।

Post-Matric Scholarship to students in Madhya Pradesh

6713. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) how many students of general, SC, ST and OBC categories were pro-